स्नेह लता गोयल

बनाम

पुष्पलता और अन्य

(**सिविल अपील संख्या** 116/2019)

07 **जनवरी** 2019

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता**,** जे.जे.**]**

सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908 -** एसएस.**21** और **47 -** विभाजन मुकदमा स्थापित किया गया था - प्रारंभिक की पुष्टि करते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई थी - इसके अलावा**,** पूरक अंतिम डिक्री भी पारित की गई -

अपीलकर्ता ने अंतिम डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही दायर की **-** प्रथम प्रतिवादी ने सीपीसी की धारा **47** के तहत आपत्ति दायर की और तर्क दिया कि आदेश पारित किए गए अधिकार क्षेत्र के बिना थे और इसलिए**,** अमान्य - निष्पादन न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिए गए - प्रथम प्रतिवादी द्वारा संविधान के अनुच्छेद **227** के तहत चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने माना कि निष्पादन न्यायालय के यह मानने में त्रुटि हुई कि डिक्री की वैधता के संबंध में आपत्ति पर विचार करने के लिए उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव था - आपत्ति उठाने वाला आवेदन को निपटान के लिए निष्पादन न्यायालय की फाइल में बहाल किया गया **-** माना गया: प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की चाहत पर किसी सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी के मूल तक नहीं पहुंचती जिससे

मुकदमे में कार्यवाही की जा सकें - इसे प्रथम दृष्टया अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए

यथाशीघ्र अवसर पर**,** और सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा किया जाता है**,** ऐसे निपटान पर या उससे पहले - इसके अलावा**,** यह केवल वहीं है जहां है न्याय की परिणामी विफलता के स्थान पर आपत्ति

मुकदमा दायर किया जा सकता है - इन दोनों शर्तों को सीपीसी की धारा **21** के तहत पूरा करना होगा

- वर्तमान मामले में**,** निष्पादन में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर जो आपत्ति उठाई गई थी मुक़दमे

की जड़ तक या अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी तक नहीं पहुँचती जिससे मुकदमे पर विचार किया जा सकें - ऐसी आपत्ति निष्पादन न्यायालय के समक्ष नहीं आएगी.

- निष्पादन न्यायालय डिक्री से पीछे नहीं हठ सकती और उसे क्रियान्वित उसी रूप में करना चाहिए

जैसा वह है - निष्पादन न्यायालय ने डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की तरफ से प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर डिक्री आपत्ति पर विचार करने से सही ढंग से इनकार कर दिया था - उच्च न्यायालय को यह मानने में त्रुटि हुई कि यह निष्पादन के अधिकार क्षेत्र में था की वह यह तय करेगी कि बटवारे के मुकदमे में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में डिक्री पारित की गई थी या नहीं - उच्च का निर्णय न्यायालय ने खारिज कर दिया - भारत का संविधान - अनुच्छेद **227**।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: **1.1** धारा **21** की उप-धारा (**1**) ये कहती है कि

अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर आपत्ति उठाने से पूर्व, दो पूर्ववर्ती शर्तें पूरी होनी चाहिए:

i)आपत्ति प्रथम दृष्टया अदालत में यथाशीघ्र संभव अवसर पर ली जानी चाहिए

; और

ii) परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की चाहत पर कोई आपत्ति जड़ तक या अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी नहीं पहुँचती है जिससे सिविल कोर्ट मुकदमे पर विचार कर सकें। इसलिए इसे प्रथम दृष्टया न्यायालय में यथाशीघ्र अवसर पर पहले ही उठाना होगा और कुल मिलाकर ऐसे मामले जहां ऐसे निपटान पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है। इसके अलावा, यह केवल वहीं है जहां न्याय की परिणामी विफलता होने पर मुकदमा करने के स्थान पर आपत्ति पर विचार किया जा सकता है। इन दोनों शर्तों को पूरा करना होगा. [पैरा **9][469-**एफ-एच**; 470-**ए-बी]

1.2 निष्पादन में जो आपत्ति उठाई गई थी वह वर्तमान मामला मुकदमे की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। यह

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर आपत्ति थी जो सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जड़ या अंतर्निहित कमी तक नहीं पहुँचती जिससे मामले की सुनवाई की जा सकें. ऐसी कोई आपत्ति

निष्पादन न्यायालय के सामने नहीं होगी. उच्च न्यायालय के इस नतीजे पर पहुँचने में त्रुटि हुई थी

कि बटवारे के मुक़दमे में हुई डिक्री प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित की गयी थी और यह निष्पादन

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था. उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय का निर्णय को उलटने में स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है जिसमे उसने डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति पर विचार करने से मना किया था यह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। [पैरा **14, 15** और **17][475-**सी**; 476-**ए-बी**,** सी-डी]

हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड (**2005**)

7 एससीसी **791 : [2005] 3** पूरक। एससीआर **495;** हीरालाल वि.

कालीनाथ एआईआर **1962** एससी **199: [1962]** एससीआर **747;** हाशम

अब्बास सैय्यद बनाम उस्मान अब्बास सैय्यद (**2007**) **2** एससीसी

355 : [2006] 10 पूरक। एससीआर **740;** मंटू सरकार बनाम.

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (**2009**) **2** एससीसी **244: [2008]**

17 एससीआर **753;** वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम राजाभाई

अब्दुल रहमान (**1970**) **1** एससीसी **670: [1971] 1** एससीआर **66 -**

पर भरोसा।

किरण सिंह बनाम चमन पासवान **AIR 1954 SC 340 :**

[1955] एससीआर **117 -** संदर्भित

केस कानून संदर्भ

[1955] एससीआर **117** पैरा **8** को संदर्भित करता है

[2005] 3 पूरक। एससीआर **495** पैरा **8** पर निर्भर था

[1962] एससीआर **747** पैरा **13** पर निर्भर था

[2006] 10 पूरक। एससीआर **740** पैरा **13** पर निर्भर था

[2008] 17 एससीआर **753** पैरा **13** पर निर्भर था

[1971] 1 एससीआर **66** पैरा **14** पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: **2019** की सिविल अपील संख्या **116.**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची, डब्ल्यू.पी. (सी) **2016** का क्रमांक **3298** के निर्णय एवं आदेश दिनांक **17.07.2018** से।

अपीलकर्ता के लिए मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, समदर्शी संजय, श्यामल कुमार, सुनील

तोमर, सलाहकार.

उत्तरदाताओं के लिए एस. आर. सिंह, वरिष्ठ वकील, मंगल प्रसाद, सुश्री सुनीता पंडित, कृष्णा

कुमार यादव, अवनीश सिंह, अंकुर यादव, डी. एस. परमार, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, सलाहकार।.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

<u>निर्णय</u>

1 अनुमति दी गई.

2 यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 15/17 जुलाई 2018 के एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है.

तथ्य एक बारीक दशा में छिपे है

9 मई 1985 को एक बँटवारा मुकदमा[1] श्रीमती सरोजा रानी, पुत्री स्वर्गीय राय श्री कृष्णा द्वारा दायर किया

1 154/1985

गया जो उनका संपत्ति में एक चौथाई भागिर्दारी से सम्बंधित है. ये संपत्ति रांची और वाराणसी में है. यह मुकदमा रांची के विशेष अधीनस्थ न्यायधीश के न्यायलय में स्थापित किया गया था. उस मुकदमे में प्रतिवादी (मृतक के बाद से) ने अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमे उन्होंने रांची के न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाया. उच्च न्यायालय ने10 मई 1989 को याचिका का निपटारा कर दिया इस निर्देश के साथ कि क्षेत्राधिकार पर किसी भी आपत्ति से सम्बंधित निर्णय रांची के विशेष अधीनस्थ न्यायधीश एक प्रारंभिक मुद्दे के तौर पर करेंगे. 13 जून 1990 को एकपक्षीय प्रारंभिक डिक्री पारित की गयी जिसमे याचिकाकर्ता को अनुसूचित संपत्ति में ¼ हिस्सा प्रदान किया गया. 5 अप्रैल 1991 को अंतिम डिक्री पारित की गयी जिसमें 13 जून 1990 कि

प्रारंभिक डिक्री की पुष्टी की गयी.

बँटवारे के मुकदमे[2] में प्रतिवादियों में से एक ने मालिकाना हक का मुकदमा (2) अधीनस्थ न्यायधीश, रांची के न्यायलय के समक्ष दायर किया. 22 जुलाई 2003 को मुकदमा अभियोजित न होने के कारण खारिज कर दिया गया। पहले प्रतिवादी ने वाराणसी में अधीनस्थ न्यायधीश के न्यायालय में मालिकाना हक़ का मुकदमा[3] दायर किया जिसे 12 अप्रैल 2005 को सीपीसी के आदेश VII, नियम 11 के तहत खारिज कर दिया गया ये कहते हुए की ऐसा करना सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 ए के तहत वर्जित है ("सी पी सी"). पहले प्रतिवादी ने आदेश IX नियम13 के तहत रांची में मालिकाना हक़ के लिए मुकदमा दायर किया जिसे वापसी मानकर 19 फ़रवरी 2008 को खारिज कर दिया गया.

चूकि मुकदमा स्थापित होने के समय अपीलकर्ता की माँ जीवित थी, इसिलए दावा ¼ हिस्से तक ही सीमित था. मुक़दमे की सुनवाई के दौरान माँ की मृत्यु हो गई। नतीजतन,तीनों बहनों के िहस्से में 1/3 का संशोधन हुआ। 18 दिसंबर, 2013 को रांची में अधीनस्थ न्यायधीश ने संपूरक अंतिम डिक्री अपीलार्थी की माता की मृत्यु और 9

फ़रवरी 1996 के पहले प्रतिवादी को ध्यान में रखते हुए पारित किया.

4 12 मई 2014 को, अपीलकर्ता ने डिक्री के अंतिम निष्पादन के लिए रांची[4] (4) में कार्यवाही दायर की. 1 जनवरी, 2015 को पहले प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धरा 47 के तहत आपत्ति दायर की यह तर्क देते हुए कि 13 जून 1990 की डिक्री, 5 अप्रैल 1991 की अंतिम डिक्री और 18 दिसंबर 2013

की अनुपूरक अंतिम डिक्री बिना किसी अधिकार क्षेत्र के थी अतः अमान्य है.

10 मार्च 2015 को, प्रथम प्रतिवादी ने13 जून,1990 की डिक्री सीपीसी[5] कि

धारा 96 में अपील के तहत चुनौती दी. यह अपील लंबित है.

5 10 मार्च 2016 को कार्यकारी अदालत ने पहले प्रतिवादी की आपत्तियों को

सीपीसी कि धारा 47 के तहत इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया:

> "डीक्री धारक डीक्री का फल पाने का हकदार है और निष्पादन करने वाली अदालत डिक्री से मुकर नहीं सकती. जब कोई डिक्री किसी ऐसे न्यायालय द्वारा की जाती है जिसके पास कोई अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार नहीं है,तो इसकी वैधता पर आपत्ति निष्पादन कार्यवाही में उठाई जा सकती है यदि आपत्ति रिकार्ड पर दिखायी देती है। जहां डिक्री पारित करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र के बारे में रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं देती है और परीक्षण में उठाए गए और तय किए गए प्रश्नों की जांच की आवश्यकता होती है,जो उठाए जा सकते थे लेकिन उठाए नहीं गए, निष्पादन अदालत के पास अधिकार क्षेत्र के आधार पर डिक्री की वैधता के बारे में आपत्ति पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

निष्पादन न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर,पहले प्रतिवादी ने भारत के संविधान

के अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही शुरू की। उच्च न्यायालय अपने आक्षेपित

निर्णय और आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निष्पादन न्यायालय ने इसे

मानने में गलती की कि वो सीमान्त क्षेत्राधिकार के न होने पर डिक्री की वैधता

से सम्बंधित मामले में में जताए विरोध की सुनवाई नहीं कर सकती.

45/2014
543/2015

6 उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस दलील पर डिक्री लागू नहीं की जा सकती

इसका आधार यह था कि इसे एक ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जिसका कोई क्षेत्रीय अिधकार क्षेत्र नहीं था

यहाँ सीपीसी की धारा 47 के तहत विभाजन का मुकदमा दायर किया जा सकता था।

उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "निष्पादन करने वाली अदालत ने कानून में गंभीर त्रुटि की है, जहां उसने देखा है कि निष्पादन अदालत के पास क्षेत्राधिकार के आधार पर डिक्री की वैधता के बारे में आपत्ति पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। सीपीसी की धारा 47 के तहत, याचिकाकर्ता ने योग्यता के आधार पर डिक्री की वैधता को चुनौती नहीं दी है, बल्कि उसकी दलील यह है कि डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अदालत द्वारा पारित कया गया है जिसके पास बटवारा मुकदमा संख्या 1985 का नंबर 154 पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था।"

इसिलए आपत्ति उठाने वाले आवेदन को निष्पादन की फाइल में निपटाने के लिए न्यायालय को बहाल कर दिया गया

7 उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला करते हुए ये कार्यवाही चलाई गई है.

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ट वकील श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुति की कि क्षेत्रीय

क्षेत्राधिकार पर आपत्ति सिविल न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है. ऐसी आपत्ति को उस

अदालत के समक्ष संबोधित कया जाना चाहिए और यदि अदालत ऐसी आपत्ति को ख़ारिज कर देती है,

तो इसे अपील में सुयोग्य न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए. नतीजतन, उच्चन्यायालय ने ऐसी आपत्ति से निपटने के लिए निष्पादन न्यायलय को निर्देश देने में गलती की। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी को होनेवाली कार्यवाही के बारे में पता था,जो निम्नलिखित परिस्थितियों से स्पष्ट है:

(i) प्रतिवादी ने रांची की अदालत में मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया था जिसे 22 जुलाई 2003 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था;

(ii) प्रतिवादी ने वाराणसी न्यायालय के समक्ष स्वामित्व का मुकदमा दायर किया जिसे 12 अप्रैल 2005 को सीपीसी के आदेश VII,नियम 11 के तहत खारिज कर दिया गया.

(iii) प्रतिवादी ने स्वामित्व के संबंध में आदेश IX नियम 13 के तहत मालिकाना हक़ के लिए एक आवेदन रांची में दिया जिसे 19 फरवरी 2008 को वापस ले लिया गया और ख़ारिज कर दिया गया।

8. दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर. सिंह ने उत्तरदाताओं की तरफ से पैरवी करते हुए निम्निलिखत प्रस्तुतियाँ देने का आग्रह किया है:

(i) क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आभाव पर आपत्ति मुकदमें की विषयवस्तु पर आपत्ति है जिसकी प्रकृति ऐसी है जिसे निष्पादन न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। समर्थन में, निर्भरता इस न्यायालय के किरण सिंह बनाम चमन पासवान[6] और हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डी.एल.एफ. युनिवर्सल[7] के निर्णयों में निहित है

(ii) उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और इसिलए यह इस स्तर पर उचित नहीं है

कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही की जाय;

और

(iii) प्रतिवादियों का मामला हमेशा से यह रहा है कि संपत्ति के आधार पर रांची में स्थापित किया गया क्षेत्राधिकार सामान्यपूर्वज का नहीं था जिसके कारण रांची की सिविल अदालत को बटवारे के मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था.

9 प्रतिद्वंदी प्रतुतियों की खूबियों का आकलन करने में, शुरुआत में, यह हो सकता है कि सीपीसी की धारा 21 के प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक हो।

> धारा 21(1) में कहा गया है कि कसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा मुकदमा करने के स्थान पर कोई आपत्ति की अनुमित नहीं दी जाएगी।

---

6 एआईआर1954एससी340
7(2005)7एससीसी791

जब तक कि आपत्ति जल्द से जल्द किसी संभव अवसर पर प्रथम दृष्टया अदालत में नहीं की गई हो और उन सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा ऐसे निपटान पर या उससे पहले किया जाता है, और जब तक कि वहां न्याय की विफलता न हुई हो।

(2) किसी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने अिधकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में किसी न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति जल्द से जल्द संभव अवसर पर प्रथम दृष्टया न्यायालय में नहीं ली गई हो, और सभी में ऐसे मामले जहां मुद्दों का निपटारा ऐसे निपटान के समय या उससे पहले किया जाता है, और जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय में विफलता न हो।

(3) किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के संदर्भ में निष्पादन न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति निष्पादन न्यायालय में जल्द से जल्द संभव अवसर पर नहीं की गई हो, और जबतक कि यह न्याय की परिणामी विफलता न हो।"

धारा 21 की उपधारा(1) में प्रावधान है कि क्षेत्रीय आपत्ति उठाने से पहले

किसी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार, दो पूर्व की शर्तें पूर्ण होनी

चाहिए:

i) आपत्ति को यथाशीघ्र प्रथम दृष्टया अदालत में ले जाया जाना चाहिए

जैसे ही पहला अवसर मिले;और

ii) परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

यह प्रावधान जिसे विधायिका ने जानबूझकर अपनाया है, इस बात को स्पष्ट

करेगा कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की चाह पर आपत्ति जड़ तक नहीं जाती है या मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आभाव आपत्ति का कारन नहीं बन सकता। इसिलए, इसे पहले अवसर पर और सभी मामलों में प्रथम दृष्टया अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए जहां ऐसे निपटान पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है। इसके अलावा, यह वहां होगा जहाँ परिणाम स्वरुप न्याय कि विफलता हो और जहाँ मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्ति हो सकती है

इन दोनों शर्तों को पूरा करना होगा.

10 प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष लिखित बयान में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आभाव पर आपत्ति उठाई गई थी. लेकिन जब प्रतिवादी कार्यवाही में भाग लेने में असफल रहे तो जाहिर तौर पर उत्तरदाताओं के बाद मुकदमे का एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। धारा 21(1) के प्रावधानों में विधायी आदेश स्पष्ट है कि इस प्रकृति की आपत्ति यथाशीघ्र उठाई जानी चाहिए जब तक कि मुद्दे सुलझ न जाए। इसके अलावा अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार द्वारा,ऐसी कोई आपत्ति उठाने कि अनुमति नहीं मिल सकती हो,जब तक कि दोनों सेट शर्तें पूरी नहीं करते.

11 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों के फैसले **किरण सिंह**(सुप्रा) पर काफी हद तक भरोसा किया है। उस मामले में, मुकदमे के मूल्यांकन को लेकर काफी विवाद था।

यह मुद्दा अंततः उस फोरम को निर्धारित करेगा जिसमें ट्रायलकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। यदि मुकदमे के मूल्यांकन को वादपत्र के अनुसार स्वीकार कर लिया जाना था, अपील जिला अदालत में होगी। दूसरी ओर, यदि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन को स्वीकार किया जाता, अपील उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के समक्ष होगी। इसी पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक मौलिक सिद्धांत के रूप में, अधिकार क्षेत्र

के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य है और इसकी वैधता वहां स्थापित की जा सकती है जहां इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की गई है, यहां तक की समानांतर कार्यवाही में निष्पादन के चरण में भी। इसके अलावा, यह माना गया कि क्षेत्राधिकार का दोष, चाहे वह आर्थिक हो या प्रादेशिक या वह इससे संबंधित कार्रवाई का विषय हो, डिक्री पारित करने के न्यायालय के अधिकार पर प्रहार करता है और पार्टियों की सहमित से भी ठीक नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद न्यायालय इस मौलिक सिद्धांत आर मुकदमा मूल्यांकन अिधिनियम की धारा 11 के प्रभाव की जांच करने के लिए आगे बढ़ा. यह न्यायालय ने कहा:

> "7. धारा 11 अिधिनयिमत करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 578 में किसी भी बात के बावजूद, एक आपत्ति कि एक अदालत जिसके पास किसी मुकदमे या अपील पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, ने प्रयोग किया था ओवरवैल्यूएशन या अंडरवैल्यूएशन के कारण, किसी अपीलीय अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि धारा में प्रावधान किया गया है...एक अदालत द्वारा पारित डिक्री, जिसके पास किसी मुकदमे या अपील को सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन ओवर वैल्यूएशन या अंडरवैल्यूएशन के लिए नहीं, कोइ उस तरह नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि यह होगा लेकिन प्रावधान के लिए यह अवैध और शून्य है और यह कि अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के आधार पर क्षेत्राधिकार पर आपत्ति को उस प्रावधान के तहत निपटाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। खंड के शुरुआती शब्दों में धारा 578, जो अब धारा 99 सीपीसी है, का संदर्भ महत्वपूर्ण है। वह धारा, यह प्रावधान करते हुए कि किसी भी डिक्री को उसमें उल्लेखित दोषों के कारण अपील में पलटा या पृथक नहीं किया जाएगा, जब वे इसके क्षेत्राधिकार के संचालन दोषों को छोड़कर, मामले की

योग्यता को प्रभावित नहीं करते हैं। इसिलए धारा 99 योग्यता के आधार पर पारित डिक्री को कोई सुरक्षा नहीं देती है, जब उन्हें पारित करनेवाली अदालतों के पास अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप क्षेत्राधिकार का अभाव होता है। इस परिणाम से बचने के उद्देश्य से ही धारा 11 अिधिनयिमत की गई थी। इसमें प्रावधान है कि अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के आधार पर अदालत के अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियों पर धारा में उल्लेखित तरीके और सीमा को छोड़कर अपीलीय अदालत द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में एक पूर्ण प्रावधान है, और अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के आधार पर क्षेत्राधिकार पर कोई आपत्ति इसके अनुरूप नहीं उठाई जा सकती है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित आपत्तियों के संदर्भ में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 अिधिनयिमत करती है कि अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा मुकदमा करने की जगह पर कोई आपत्ति की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता न हो। यह वही सिद्धांत है जिसे आर्थिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में मुकदमा मूल्यांकन अिधिनयम की धारा 11 में अपनाया गया है। सीविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 और 99 और मुकदमा कि मूल्यांकन अिधिनयम की धारा 11 में अंतर्निहित नीति एक ही है, अर्थात्, जब किसी मामले की सुनवाई योग्यता औरि दिए गए निर्णय के आधार पर अदालत द्वारा की गई थी, तो उसे उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। इसे विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर उलट दिया गया है, जब तक कि इसके पिरणाम स्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो, और विधायिका की नीति क्षेत्रीय और आर्थिक दोनों क्षेत्राधिकारों पर, आपत्तियों को तकनीकी मानने की रही है और अपीलीय अदालत द्वारा विचार करने के लिए खुला नहीं है, जब तक कि योग्यता के आधार पर कोई पूर्वाग्रह न हो।"

(बल दिया गया)

12 इस प्रश्न से िनपटना िक क्या िकसी न्यायालय द्वारा अपील परि डक्री पाित की गई है जिसमे उसका क्षेत्राधिकार है और जिसे वह अंडरवैल्यूएशन या ओवरवैल्यूएशन के कारण सुन सकता है को सही मूल्यांकन के आधार पर कि वह अदालत अपील पर विचार करने में सक्षम नहीं थी, ख़ारिज किया जा सकता है, न्यायालय ने माना िक केवल फोरम में परिवर्तन मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत 'पूर्वाग्रह' नहीं है। इस न्यायालय ने कहा:

> "12...धारा की भाषा के आधार पर किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव है। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय या ज़िला न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का तथ्य जहां सही मूल्यांकन दिया गया होता तो अपील उच्च न्यायालय में होती, अपने आप में पूर्वाग्रह का मामला है, तो अधीनस्थ न्यायालय या ज़िले द्वारा पारित डिक्री न्यायालय को, बिना अधिक जानकारी के, अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और शब्द "जब तक कि अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन ने मुकदमे या अपील के गुण-दोष के आधार पर निपटान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है" पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। ये शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं
> कि ऐसे मामलों में पारित डिक्री पर अपीलीय अदालत में हस्तक्षेप किया जा सकता है, <u>सभी मामलों में नहीं और स्वाभाविक रूप से, लेकिन केवल तभी जब अनुभाग में उल्लेखित पूर्वाग्रह का परिणाम हो</u>. और इसिलए उस धारा द्वारा देखा गया पूर्वाग्रह एक अलग मंच पर अपील की सुनवाई के अलावा कुछ और होना चाहिए<u>. एक विपरीत निष्कर्ष आश्चर्यजनक परिणाम देगा कि यह धारा अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्राधिकार के दोषों को ठीक करने के उद्देश्य से अिधिनयिमत की गई थी, लेकिन वास्तव में, इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया है।</u>. इसिलए हमारी स्पष्ट राय है कि

> धारा द्वारा विचार किया गया पूर्वाग्रह उस फोरम में अपील की सुनवाई के तथ्य से कुछ अलग है जो अंततः निर्धारित किए गए मुकदमे के सही मूल्यांकन पर इसे सुनने के लिए सक्षम नहीं होगा।
>
> (महत्व दिया गया)

न्यायालय ने क्षेत्राधिकार पर आपत्ति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पहली बार में कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी थी और मुकदमा दायर करने वाली पार्टी को आपत्ति करने से अपीलीय चरण में रोक दिया गया। इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला:

> "16.यदि कानून यह होता कि किसी अदालत की डिक्री, जिसके पास मुकदमे या अपील पर कोई अिधकार क्षेत्र नहीं होता, लेकिन अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के लिए, को अमान्य माना जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से, उन्हें क्षेत्राधिकार की कमी स्थापित करने से नहीं रोका जाएगा। ये अदालत ने इस तथ्य के आधार पर कहा कि उन्होंने स्वयं इसका आह्वान किया है। हालाँकि, सूट वैल्यूएशन एक्ट की धारा 11 के तहत यह स्थिति नहीं है।

इस प्रकार, जहां अिधकार क्षेत्र में दोष उस प्रकार का है जो सीपीसी की धारा 21 के अंतर्गत आता है या सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 की धारा 11 में हो, क्षेत्राधिकार पर आपत्ति नहीं हो सकती इसके अंतर्गत उल्लिखित तरीके और उठाए गए शर्तों को छोड़कर। प्रतिवादी के मामले

में मदद करने से दूर, **िकरण िसंह**(सुप्रा) का निर्णय ये कहता है एक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार और आर्थिक क्षेत्राधिकार पर आपत्ति से भिन्न है विषयवस्तु के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति। मुक़दमे पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की चाहत पर आपत्ति जड़ तक नहीं जाती या सिविल न्यायालय के अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार तक.

13 **हीरालाल** बनाम **कालीनाथ**[8] **के** मूल पक्ष में एक व्यक्ति ने बंबई उच्च न्यायालय में कमीशन की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया। मामला को मध्यस्थता के लिए रेफर कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप वादी के पक्ष में फैसला आया। पुरस्कार के संदर्भ में एक डिक्री पारित की गई और अंततः उच्च न्यायालय कि एक डिक्री में शामिल किया गया। निष्पादन की कार्यवाही में, निर्णय-देनदार ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि कार्रवाई के कारण का कोई भाग बम्बई में उत्पन्न नहीं हुआ था, और इसिलए, उच्च न्यायालय का मामले की सुनवायी करना कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और उसके बाद होने वाली सभी कार्यवाही पूरी तरह से बिना क्षेत्राधिकार के थी और इस प्रकार अमान्य है। इस दलील को खारिज करते हुए इस न्यायलय की चार जजों की बेंच ने कहा:

> "इसके [बॉम्बेहाईकोर्ट] क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति ऐसी है जो अदालत की क्षमता के अनुरूपन हीं है और इसिलए, इसे माफ किया जा सकता है। तत्काल मामले में, जब वादी ने लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत मूल पक्ष पर बॉम्बे हाई कोर्ट की अनुमित प्राप्त की, तो प्रक्रिया की शुद्धता या छुट्टी देने के आदेश पर प्रतिवादी या आपत्ति द्वारा सवाल उठाया जा सकता

है या उसके द्वारा इसे माफ़ किया जा सकता है। जब वह मामले को अदालत के माध्यम से मध्यस्थता के लिए संदरभित करने के लिए सहमत हो गया, तो यह माना जाएगा कि उसने अपने लिखित बयान में अदालत के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर अपनी आपत्ति को माफ कर दिया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी अदालत के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति कसी मामले की सुनवाई करने की अदालत की क्षमता पर आपत्ति के समान नहीं है। किसी मामले की सुनवाई करने की अदालत की क्षमता अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाती है, और जहां इसकी कमी है,यह क्षेत्राधिकार के अन्तर्निहित कमी का मामला है। दूसरी ओर, किसी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति को माफ किया जा सकता है

---

8 एआईआर1962एससी199

> <u>और इस सिद्धांत को नागिरक प्रक्रिया संहिता की धारा 21 जैसे अिधिनयमों द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है।</u>"
> (महत्त्व दिया गया)

हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम **डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड**[9] के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार से सम्बंधित आपत्ति को माना यथाशीघ्र लाया जाना चाहिए। यदि इसे जल्द से जल्द नहीं उठाया गया, तो इसे आगामी चरणों में लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इस न्यायालय ने कहा:

> "30. किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कई श्रेणियों में वर्गीकृति किया जा सकता है। महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं (i) क्षेत्रीय या स्थानीय क्षेत्राधिकार;(ii) आर्थिक क्षेत्राधिकार; और (iii) विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र। जहां तक क्षेत्रीय और आरथिक क्षेत्राधिकार का सवाल है, ऐसे क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जल्द से जल्द संभव अवसर पर और किसी भी मामले में मुद्दों के निपटारे से पहले की जानी चाहिए। कानून इस बिंदु पर अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि ऐसी आपत्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इसे अगले चरण में लेने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, विषय-वस्तु के संबंध में क्षेत्राधिकार पूरी तरह से अलग है और एक पृथक स्तर पर खड़ा है। जहां किसी अदालत के पास क़ानून, चार्टर या आयोग द्वारा लगाई गई किसी सीमा के कारण मुकदमे की विषय-वस्तु पर कोई अिधकार क्षेत्र नहीं है, तो वह कारण या मामले पर विचार नहीं कर सकता है। किसी न्यायालय द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के पारिति किया गया आदेश निरर्थक है।"

हशम अब्बास सय्यद बनाम **उस्मान अब्बास सय्यद**[10] के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ

ने कहा:

> "24.हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के आलोक में किसी अदालत द्वारा पारित डिक्री जिसका कोई क्षेत्रीय या आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है और वह पारित डीक्री जिसके मुकदमे की विषय-वस्तु के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। जब कि पहले मामले में, अपीलीय अदालत तब तक डिक्री में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि पूर्वाग्रह न दिखाया गया हो, आमतौर पर मामलों की दूसरी श्रेणी में हस्तक्षेप किया जाएगा।"

इसी प्रकार, **मंटू सरकार** बनाम **ओरीएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में**[11], इस न्यायालय की दो जजों की बेंच ने कहा:

9(2005)7एससीसी791
10(2007)2एससीसी355
11(2009)2एससीसी244

> "20. हालाँकि, मुकदमे की विषय-वस्तु के संबंध में क्षेत्राधिकार और क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जबिक पूर्व श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले मामले में निर्णय अमान्य होगा, बाद में ऐसा नहीं होगा। यह ऐसा मामला नहीं है जहां ट्रिब्यूनल के पास दावे के विषय-वस्तु के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार

> नहीं था...हमारी राय में, पहले प्रितवादी की ओर सेिक सीभी पूर्वाग्रह से पीड़ित होने के किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, अदालत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपील परि वचारि कया गया।"

14 वर्तमान मामले में निष्पादन पर जो आपत्ति उठाई गई थी, उसका संबंध मुक़दमे के विषय-वस्तु से नहीं था. यह क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर आपत्ति थी जो

किसी सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जड़ तक नहीं पहुंचती या उसके अंतर्निहित कमी की ओर जाती है। एक कार्यकारी अदालत िडक्री के परे नहीं जा सकती और उसे डीक्री को वैसे ही िनष्पाि दत करना होगा जैसे वह दिया गया है. **वासुदेव धनजीभाई मोदी** बनाम **राजाभाई अब्दुल रहमान**[12], के मामले में याचिकाकर्ता ने लघुवाद न्यायालय, अहमदाबाद में प्रतिवादी किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया। अंततः इस न्यायालय द्वारा मुकदमे का फैसला उसके पक्ष में सुनाया गया। िनष्पादन कार्यवाही के दौरान, प्रितवादी-िकरायेदार ने आपत्ति उठायी कि लघुवाद न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था और उसकी डिक्री अमान्य थी। इस विवाद को डिक्री िनष्पाि दत करने वाली अदालत और लघुवाद न्यायालय ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने लघुवाद न्यायालय को पलट दिया और आदेश को नष्पादित करने के लिए याचिका खारिज कर दी गई। जब

इस न्यायालय में अपील किया गया, तो तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसले को पलट दिया

और कहा :

> "6. डिक्री निष्पादित करने वाली अदालत डिक्री से परे नहीं जा सकती: पक्षों या उनके प्रितिनिधयों के बीच उसे डिक्री को उसके कार्यकाल के अनुसार लेना होगा, और किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है कि वह डिक्री कानून या तथ्यों के आधार पर गलत थी। जब तक इसे अपील या पुनरीक्षण में उिचत कार्यवाही द्वारा रद्द नहीं किया जाता है, तब तक एक डिक्री भले ही गलत हो, पार्टियों के बीच अभी भी बाध्यकारी है।
>
> 8.यदि डिक्री क्षेत्राधिकार के बिना रिकॉर्ड के मुख पर है और प्रश्न क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है या सूट मूल्यांकन अिधिनयम की धारा 11 के तहत,

---

12(1970)1एससीसी670

> डिक्री करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठायी जा सकती है; जहां यह निर्धारित करने के लिए तथ्यों की जांच करना आवश्यक है कि जिस न्यायालय ने
> डिकी पारित की थी, उसके पास मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकारक्षेत्र नहीं था, निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है।

15 इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार से उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि निष्पादन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बंटवारे के मुक़दमे में डिक्री किसकी अनुपस्थिती में पारित की गयी थी आता है में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलती की है.

16 प्रतिवादी ने प्रथम अपील(प्रथम अपील संख्या 43/2015) दायर की है जहां क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया गया है. हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान फैसला प्रथम अपील में पक्षों के अधिकारों और तर्कों को प्रभावित न करें।

17 उच्च न्यायालय ने इसे उलटने में स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है जिसमे निष्पादन न्यायालय का निर्णय जहाँ क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था, जिसमे न्यायालय ने डिक्री पारित की थी।

18 हमने इस तर्क में भी दम नहीं पाया कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश, रिमांड का

आदेश होने के नाते, एक अंतिरम आदेश की प्रकृति में है जो किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता. आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री की वैधता पर आपत्ति पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मामले में विचार करेगा. ऐसी आपत्ति निष्पादन न्यायालय के समक्ष नहीं होगी। इसके अलावा, आपत्ति यह थी कि रांची की संपत्ति एक पूर्वज की नहीं थी योग्यता का विषय है, ये यदि है भी तो उसे प्रथम अपील में उपयुक्त न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए.

19 उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमित देते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश को रद्द कर देते हैं. निष्पादन न्यायालय निष्पादन कार्यवाही की शीघ्रता से समापन करेगा. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

दिव्या पाण्डेय

अपील अनुमत

<u>यह अनुवाद शालिनी साबू, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>